[redacted]

(25)

माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म0प्र0)
R. 5153-पीबीआर/15

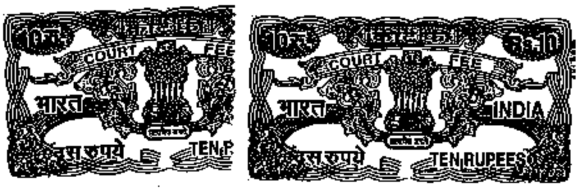

10/-

श्री कृष्णपाल एड० द्वारा
पेश/ 7-11-15

7/11/15
क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

1. शिवप्रसाद तनय दददी लोहार उम्र 55 वर्ष पेशा खेती,
2. जगदीश तनय दददी लोहार उम्र 58 वर्ष पेशा खेती,
दोनों निवासी ग्राम बरौं तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी (म0प्र0) -----निगरानी कर्तागण/आवेदकगण

बनाम

1. शिवेन्द्र तनय रामदयाल लोहार उम्र 17 वर्ष नाबालिग द्वारा वली संरक्षक पिता रामदयाल तनय दददी लोहार निवासी ग्राम बरौं तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी
2. मधुनी पुत्री दददी लोहार उम्र 60 वर्ष पेशा गृहकार्य निवासी ग्राम बरौं तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी (म0प्र0)
3. मध्यप्रदेश शासन ---गैर निगरानी कर्तागण/अना0गण

निगरानी याचिका विरुद्ध आदेश न्यायालय श्री मान् अपर कलेक्टर महोदय सीधी जिला सीधी (पीठासीन अधिकारी डा0एम0पी0पटेल) (म0प्र0) के राजस्व प्रकरण क्रमांक- 354/निगरानी/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 06-10-2015 जिसके द्वारा अधिकारितावि‍हीन आदेश पारित करते हुए अनावेदक शिवेन्द्र द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी महोदय चुरहट के राजस्व प्रकरण क्रमांक-268/अपील/09-10 निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय (अनुविभागीय अधिकारी) को वापस गुण-दोष पर आदेश पारित करने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया है।

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा-50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959.

शिवप्रसाद विश्वकर्मा

7/11/15

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-5153/II/15 ...... जिला सीधी

[illegible] [illegible]

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-3-16	यह निगरानी अपर कलेक्टर सीधी के प्र०क्र० 354/निग०/11-12 में पारित आदेश दिनांक 6-10-15 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में आवेदक अधि० श्री कुलपाल जी को सुना गया तथा उनके तर्कों पर विचार किया गया। विचारोपरांत निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों एवं प्रश्नाधीन आदेश में वर्णित निष्कर्षों का अवलोकन किया एवं उन पर विचार किया गया। विचारोपरांत प्रकरण में यह निष्कर्ष निकलता है कि आवेदक द्वारा वसीयत के आधार पर नामांतरण आवेदन विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया था जिसे विचारण न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया था जिसके विरुद्ध अपील अनु० अधि० के समक्ष प्रस्तुत होने पर अनु० अधि० द्वारा गुण दोष पर निर्णय पारित न कर मात्र समयविधान की धारा 5 के आधार अवधि बाह्य मान कर निरस्त कर दिया गया था। अनु० अधि० के आदेश दिनांक 7-3-11 के विरुद्ध निगरानी अपर कलेक्टर सीधी के समक्ष प्रस्तुत की गई जहां अपर कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत निगरानी में अंकित तथ्यों को समाधान कारक मानते हुए अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 7-3-11 निरस्त कर प्रकरण अनु० अधिकारी को गुण दोष के आधार पर विचार कर विधिसंगत आदेश पारित करने के लिये प्रत्यावर्तित किया गया। चूंकि अनु० अधि० प्रथम अपीलीय न्यायालय है जहां तथ्यों का सम्यक परीक्षण एवं जांच की जाना आवश्यक है ऐसी स्थिति में मात्र विलम्ब के आधार पर	

R-2123/II/15 17/4/

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
शिवप्रसाद	विरुद्ध R-5153-II/15	

प्रकरण को निरस्त करना उचित नहीं था। अतः अपर कलेक्टर एवं आ०उ०आ० के आदेश को निरस्त कर प्रकरण को प्रत्यावर्तित करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। वैसे भी अपर कलेक्टर के प्रश्नाधीन आदेश से किसी भी पक्ष के हित वर्तमान में अनुचित रूप से प्रभावित हुए हों ऐसा परिलक्षित नहीं हो रहा है। क्योंकि उभयपक्ष को अपना पक्ष समर्थन करने का पर्याप्त अवसर अनु० अधि० के समक्ष उपलब्ध है। अनु० अधि० को भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपर कलेक्टर के आदेश के पालन में उभयपक्ष को पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत हक आदि संबंधी अभिलेखों की सम्यक जांच कर संवैधानिक एवं नीतिगत निर्णय पारित करें।

उपरोक्त निर्देशों के साथ अपर कलेक्टर का प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 6-10-15 यथावत रखते हुए यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को भेजी जावे। प्र० दा०रि० हो।

सदस्य